क्रमांक /3324060/958/2019 2148
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,जल संसाधन भवन,
तुलसी नगर भोपाल म.प्र.क्र.462003
दूरभाष–07552552646,2552878 फैक्स 2552406,2551253
email: encwrbpl_mp@nic.in

भोपाल दिनांक: 12/12/2019

" कार्यालयीन–आदेश "

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–1/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधान के परिपालन में शासकीय सेवको के परिवार के सदस्य को अमीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति वेतनमान रूपये पी.बी.1, 5200–20200 + ग्रेड पे 2100/–(सातवें वेतनमान के मैट्रिक लेवल–5) शासन द्वारा अद्यतन स्वीकृत महंगाई भत्ते पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के समक्ष दर्शाये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है ।

स.क्र	दिवंगत शासकीय सेवक का नाम	मृत्यु दिनांक	आवेदक का नाम वर्तमान पता	जाति/जन्म तिथि	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1.	स्व.श्री इमरत लाल अहिरवार	09.11.2018	श्री ध्रुव, निवासी म.न.222 कसाई बाबा मोहल्ला नागरा झॉसी उ.प्र.	17.01.1997 अनु.जाति	मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परि. ज.स. वि.. दतिया
2.	स्व.श्री बैंचेलाल दोहरे	14.10.2018	श्री आशीष दोहरे, निवासी 38 दुष्यंत नगर,दर्पण कॉलोनी थाटीपुर ग्वालियर.	31.03.1990 अनु. जाति	मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परि. ज.स. वि. दतिया
3.	स्व.श्री अजयकुमार मण्डलोई	24.06.2019	श्रीमती सुनीता मण्डलोई म.न. 43/26 चमेली की बाड़ी, खरगौन जिला खरगौन	03.08.1984 अ.ज.जा	मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ति कछार ,ज.स.वि. इन्दौर

1– मध्यप्रदेश शासन शासकीय भर्ती नियम 1969 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवा किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

2– संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह पूर्व सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते शासकीय कोष में जमा कराये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन एवं भत्ते उनके भू–राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी।

3– कार्य ग्रहण करने के पूर्व अभ्यार्थी को अमीन के पद हेतु निम्न अभिलेख की मूल प्रति कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी कार्यग्रहण सूचना मान्य नही की जावेगी।

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र।
2. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी/स्थानीय निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
3. जिले के प्रमुख चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण–पत्र।
5. चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र (दिवंगत शासकीय सेवक के पुत्र अथवा पुत्री के लिए)

4. आदेश जारी होने के दिनांक (प्राप्ति दिनांक से) से एक माह की समयावधि में पदस्थीकरण स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

6. आवेदक से कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का वचन पत्र लिया जावेगा कि वो दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाय कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है तथा उसका सही ढ़ग से भरण पोषण नही किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी (दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी को छोड़कर)

7– दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी का अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि नियुक्ति के पश्चात कराऐ गये चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) में यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नही है तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

8– कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्र.एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 02.07.2005 में निहित प्रावधान के अनुसार पेंशन की पात्रता अंशदान पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

9– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) दिनांक 20 अगस्त2009 के अनुसार नियुक्ति के पश्चात जल संसाधन विभाग द्वारा 6 माह का अमीन का प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसुचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी नियमो का पूर्णतः पालन किया गया है।

11. मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्ते यथावत प्रभावशील होगी।

12.12.19
(मदनसिंह डाबर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक /3324060/958/2019 2149 भोपाल दिनांकः 12 /12/2019

प्रतिलिपि :–

1 संबंधित मुख्य अभियंता,..
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (अभ्यार्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं चरित्र सत्यापन संलग्न है एवं जिन अभ्यार्थीयों के उपलब्ध नही है उन अभ्यार्थीयों से प्राप्त करें) पृष्ठांकित कर निवेदन है कि इनके विस्तृत पदस्थापना आदेश 10 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से जारी किये जाये तथा अभ्यार्थी के कार्यग्रण की तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें। साथही मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञाप क्र.7/3/25/5/93दिनांक 31/12/93 की कंडिका 1 के अनुसार जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. संबंधित कलेक्टर ....

3. संबंधित श्री/श्रीमति/कुमारी————————————

4. निज सहायक,प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)/अधीक्षण यंत्री(वृहद) जल संसाधन विभाग, भोपाल।

5. वेब मैनेजर।

6. मास्टर नस्ती/अधीक्षक 331,332
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार

12/12/19
(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री,(प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल